

## DISTRICT SVEEP PLAN- PURNEA

District Magistrate-cum-District Election Officer, Purnea  
Sri Pradeep Kumar Jha (I.A.S.)

Nodal Officer SVEEP-cum-D.D.C.Purnea  
Sri Ramashankar (B.A.S.)

Deputy Election Officer-cum-Member of SVEEP Committee, Purnea  
Sri Anirudha Prasad Yadav

D.P.R.O.-cum-Member of SVEEP Committee, Purnea  
Sri Dipak Chandra Dev

मतदान केन्द्रों का युक्तिकरण प्रस्ताव अनुमोदन के पश्चात् विधानसभावार एवं प्रखंडवार मतदान केन्द्रों की विवरणी

| क्र०  | विधानसभा क्षेत्र का नाम एवं संख्या | प्रखंड का नाम   | मतदान केन्द्रों की संख्या | कुल मतदान केन्द्र |
|-------|------------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------|
| 1     | 56-अमौर                            | अमौर            | 01 से 174 तक              | 300               |
|       |                                    | बैसा            | 175 से 300 तक             |                   |
| 2     | 57-बायसी                           | डगरुआ           | 01 से 134 तक              | 261               |
|       |                                    | बायसी           | 135 से 261 तक             |                   |
| 3     | 58-कसबा                            | के० नगर         | 01 से 30 तक               | 274               |
|       |                                    | श्रीनगर         | 31 से 98 तक               |                   |
|       |                                    | जलालगढ़         | 99 से 165 तक              |                   |
|       |                                    | कसबा            | 166 से 274 तक             |                   |
| 4     | 59-बनमनखी                          | बनमनखी          | 01 से 220 तक              | 301               |
|       |                                    | बी० कोठी        | 221 से 301 तक             |                   |
| 5     | 60-रूपौली                          | बी० कोठी        | 01 से 57 तक               | 306               |
|       |                                    | भवानीपुर        | 58 से 160 तक              |                   |
|       |                                    | रूपौली          | 161 से 306 तक             |                   |
| 6     | 61-धमदाहा                          | धमदाहा          | 01 से 193 तक              | 317               |
|       |                                    | के० नगर         | 194 से 317 तक             |                   |
| 7     | 62-पूर्णियाँ                       | नगर निगम        | 01 से 166 तक              | 298               |
|       |                                    | पूर्णियाँ पूर्व | 167 से 298 तक             |                   |
| कुल - |                                    |                 |                           | 2057              |

## AC wise Projected Population 2019

| Sl. No.        | Ac No & Name        | Population 2019 |         |                  |
|----------------|---------------------|-----------------|---------|------------------|
|                |                     | Male            | Female  | Total Population |
| 1              | 56-Amour            | 292058          | 269592  | 561650           |
| 2              | 57-Baisi            | 271679          | 240924  | 512603           |
| 3              | 58-Kasba            | 267657          | 247069  | 514726           |
| 4              | 59-Banmankhi (S.C.) | 296071          | 262554  | 558625           |
| 5              | 60-Rupouli          | 309577          | 291544  | 601121           |
| 6              | 61-Dhamdaha         | 323209          | 310535  | 633744           |
| 7              | 62-Purnea           | 274210          | 253309  | 527519           |
| District Total |                     | 2034461         | 1875527 | 3909988          |

**Electors as per proposed Draft Roll w.r.t. 01.01.2019 as the qualifying date**

| Sl. No.        | Ac No & Name        |         |        |              |
|----------------|---------------------|---------|--------|--------------|
|                |                     | Male    | Female | Third Gender |
| 1              | 56-Amour            | 154593  | 138046 | 9            |
| 2              | 57-Baisi            | 136503  | 123309 | 10           |
| 3              | 58-Kasba            | 141799  | 131493 | 12           |
| 4              | 59-Banmankhi (S.C.) | 152290  | 141316 | 7            |
| 5              | 60-Rupouli          | 154493  | 143325 | 14           |
| 6              | 61-Dhamdaha         | 156155  | 146276 | 7            |
| 7              | 62-Purnea           | 157070  | 141746 | 7            |
| District Total |                     | 1052903 | 965511 | 66           |

## **Total Forms accepted within SSR 2019**

| Sl. No.        | Ac No & Name        | Form   |        |        |         |
|----------------|---------------------|--------|--------|--------|---------|
|                |                     | Form 6 | Form 7 | Form 8 | Form 8A |
| 1              | 56-Amour            | 7459   | 810    | 643    | 0       |
| 2              | 57-Baisi            | 8810   | 793    | 798    | 0       |
| 3              | 58-Kasba            | 8719   | 1214   | 746    | 0       |
| 4              | 59-Banmankhi (S.C.) | 6055   | 1716   | 1099   | 190     |
| 5              | 60-Rupouli          | 5395   | 1247   | 388    | 0       |
| 6              | 61-Dhamdaha         | 2920   | 32     | 163    | 0       |
| 7              | 62-Purnea           | 4082   | 722    | 396    | 9       |
| District Total |                     | 43440  | 6534   | 4233   | 199     |

### AC wise PWDs Marked in PER

| AC Name             | No. of PWD Voters<br>flagged |
|---------------------|------------------------------|
| 56-Amour            | 791                          |
| 57-Baisi            | 706                          |
| 58-Kasba            | 707                          |
| 59-Banmankhi (S.C.) | 545                          |
| 60-Rupouli          | 1017                         |
| 61-Dhamdaha         | 714                          |
| 62-Purnea           | 644                          |
| TOTAL               | 5124                         |

### YOUTH COMPONENT FOR THE SVEEP PLAN

FOLLOWING TARGET AND ACTIVITIES WILL BE ACHIEVED THROUGH VARIOUS INSTITUTIONS LIKE HIGH SCHOOLS, COLLEGES OF PURNEA DISTRICT :-

- Efforts would be made to sensitize young voters to participate in the process, especially in the areas where turnout of youths has been not high.
- Places like employment office, vehicle registration office would be focused where youths visit frequently and form 6 would be placed at such offices to add them as elector.
- The network of NSS would be utilized to sensitize youngsters.
- Database of students having completed age of 18 years be compiled and Head of Institution certify that all the eligible students get enrolled in the list.
- Debates and other competitions related to voting and its benefits would be conducted. Similarly, lecture by senior officers from the district administration would also be organized.
- Road shows are one of the catching interventions to attract young voters.

### DETAILS OF PLAN FOR WOMEN

FOLLOWING TARGET AND ACTIVITIES WILL BE ACHIEVED THROUGH DIFFERENT AGENCIES WORKING IN WOMEN RELATED FIELDS -

- Efforts would be made to sensitize women voters to participate in the process, especially in the areas where turnout of women was not encouraging.
- It would be done through sensitizing head of the families about the importance of even a single vote and role of women. It generally occurs in rural area where women under veil are not allowed to cross the door of her house. Audio-visuals would be used to break the hesitation to cast their vote.

- Support of SHGs led by women, Anganwadi workers and ASHA would be taken to sensitize women voters.
- In urban areas, women wing of clubs/NGOs would also be used for sensitization.

## **DETAILS OF PLAN FOR ILLITERATE, Tribals, Backward Classes and Minorities**

FOLLOWING TARGET AND ACTIVITIES WILL BE ACHIEVED THROUGH VARIOUS MAJORS FOR ABOVE GROUPS IN ILLITERACY PRON AREA AND SLUM AREAs BY DIFFERENT DEPARTMENTS NOMINATED AS SVEEP PARTNERS ALONGWITH LAW ENFORCING AGENCIES FOR MAXIMUM ETHICAL VOTING AND AWARENESS –

- In the identified pocket with poor literacy rate, optimum use of audio-visuals would be ensured, wherein, shows would be conducted.
- As per the vulnerability mapping security arrangement would be done, where minorities or weaker sections have threats and are prevented from casting their votes.
- Frequency of announcement in such areas would be enhanced.
- Messages for this targeted group will be given through appeals on Radio and Television for maximum voting and awareness.

## **DETAILS OF PLAN FOR RURAL AND URBAN AREA**

### **FOR RURAL AREA-**

- Ensuring easy availability of form 6, 7, 8 and 8-A at Panchayat office
- Support by BLOs in filling out the forms, especially for illiterates
- Discussions in Gram sabha and involvement of BLO /Janpratinidhi
- Cultural activities such as Folk Dance, Folk Songs, and Nukkad Nataks will be performed by Kala Jathha Dal in remote rural areas

### **FOR URBAN AREA-**

- Meetings and Lectures of SVEEP Icons.
- Signature and Oath Taking campaign, rallies, announcements through loudspeakers will be held in all cities and towns.
- Meetings of associations like business communities, doctors fraternity, labour union etc
- Meetings on pre-announced date for form 6 distribution and collection
- Advertisements in newspapers, pamphlets distribution and use of local electronic media.
- Hording and banners at public places

मतदाता पंजीयन केन्द्र :-

जिले में नवीन/छुटे हुए मतदाताओं के पंजीकरण के लिये प्रभावी कदम उठाये जायेंगे । जन सामान्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पंजीकरण हेतु निम्न स्थलो पर प्ररूप 6 उपलब्ध कराये जायेंगे ।

1. प्रत्येक मतदान केन्द्र स्तर पर
2. मतदाता सहायता केन्द्र (विधान सभा मुख्यालय स्तर पर)
3. जिला अन्तर्गत सभी 14 प्रखंड स्तर पर
4. जिला निर्वाचन कार्यालय
5. जिला के सभी डिग्री एवं इण्टर स्तरीय महाविद्यालय में ।
6. नगर निगम/नगर पालिका कार्यालय में ।

1. ग्राम पंचायत की बैठको में मतदाता जागरूकता अभियान का एजेण्डा रखना एवं बैठक में चर्चा करना :- प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत की बैठकों में मतदाता जागरूकता के संबंध में पंचायत के सभी सदस्यों को जानकारी दी जायेगी ।

2. साप्ताहिक हाट बाजार में मतदाता जागरूकता अभियान के संबंध में रैली निकालना - ग्राम पंचायत के माध्यम से साप्ताहिक हाट बाजार वाले ग्रामों में मतदाता जागरूकता अभियान से संबंधित रैली निकाली जायेगी ।

3. सार्वजनिक स्थलो पर पोस्टर/फ्लैक्स लगाना :- ग्राम पंचायतों के माध्यम से क्षेत्र के सभी सार्वजनिक स्थलों पर मतदाता जागरूकता से संबंधित पोस्टर/बैनर लगाये जाने का कार्य किया जायेगा ।

महिला एवं बाल विकास :-

1. जिले के सभी प्रखंड स्तरीय बाल विकास परियोजना कार्यालयों में मतदाता जागरूकता संबंधी फ्लैक्स बैनर लगाये जायेंगे ।
2. जिले के सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों में मतदाता जागरूकता अभियान से संबंधित पोस्टर लगाये जायेंगे ।
3. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपने पोषक क्षेत्र के प्रत्येक मतदाता के घर का भ्रमण करेंगे तथा भ्रमण के दौरान 18 वर्ष की अर्हता प्राप्त अपंजीकृत नागरिक का पंजीकरण करायेंगे साथ ही महिला मतदाताओं से सम्पर्क कर मतदान के महत्व के संबंध में जानकारी प्रदान करेंगे ।
4. विभाग की मासिक बैठक में मतदाता जागरूकता अभियान के संबंध में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जायेगा ।
5. विगत निर्वाचन में जिन क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत कम रहा है उन क्षेत्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से घर-घर जा कर मतदाता को जागरूक करने हेतु मतदाता जागरूकता अभियान प्रभावी ढंग से चलाया जायेगा ।

आपूर्ति

1. मतदाता को जागरूक करने के लिये जिला अन्तर्गत प्रत्येक जन वितरण प्रणाली की दुकानों पर मतदाता जागरूकता अभियान से संबंधित पोस्टर/फ्लैक्स लगाये जायेंगे ।

शिक्षा विभाग :-

1. प्रभात फेरी/रैलियों का आयोजन :- जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, शिक्षा सभी संकुल केन्द्र प्रभारियों की बैठक आयोजित कर सभी शिक्षण संस्थानों में कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों की प्रभात

फेरी /रैलियों के माध्यम से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जायेगा । संकुल केन्द्र के प्रभारी संबंधित शिक्षण संस्थानों के प्रधानाध्यापक की बैठक कर छात्र-छात्राओं के माध्यम से प्रत्येक माह में प्रभात फेरी/रैली का आयोजन सुनिश्चित करेंगे ।

**2. स्काउट गाइड :-** जिले के सभी उच्च विद्यालय/महाविद्यालयों में स्काउट गाइड के द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान को चलाया जाना एवं निबंध प्रतियोगिता, वाद-विवाद प्रतियोगिता आयोजित कर मतदाता जागरूकता अभियान को गति दी जायेगी ।

**3. मतदाता पंजीकरण :-** जिले के सभी उच्च माध्यमिक/महाविद्यालयों में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके अर्हता प्राप्त छात्र-छात्राओं के पंजीकरण हेतु संस्था में ही प्ररूप 6 उपलब्ध कराये जायेगे तथा उन्हें मतदान के प्रति जागरूक किया जायेगा ।

#### कृषि विभाग :-

1. किसान मेलों के माध्यम से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जाना ।
2. प्रत्येक मंडी में मतदाता जागरूकता अभियान से संबंधित पोस्टर/फलैक्स लगाये जायेगें ।

#### स्वास्थ्य विभाग :-

1. जिला में आशा कार्यकर्ता के माध्यम से महिला मतदाताओं का पंजीकरण बढ़ाने तथा मतदान के महत्व की जानकारी हेतु महिलाओं को जागरूक करेंगे ।
2. प्रत्येक प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र /निजी नर्सिंग होम से दिये जाने वाले दवा पर्ची के पार पृष्ठ पर मतदाता जागरूकता से संबंधित स्लोगन आदि को प्रदर्शित करा कर मतदाताओं को जागरूक करेंगे ।
3. दिव्यांगजन को मतदान के प्रति जागरूक एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान दिवस को दिये जा रहे सुविधाओं की जानकारी प्रदान की जायेगी ।

#### जनसंपर्क विभाग :-

1. जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी स्वीप कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिये गठित समिति के संबंध में जिला में चल रहे प्रत्येक गतिविधि को समाचार पत्रों में निरंतर रूप से प्रकाशित करायेगें तथा स्वीप प्लान से संबंधित खबरों की पेपर कटिंग को संधारित करेंगे साथ ही स्वीप कार्यक्रम से संबंधित सभी गतिविधियों को भारत निर्वाचन आयोग के स्वीप पोर्टल एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी के फेसबुक एवं सोशल मिडिया जैसे Youtube, Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp आदि पर अपलोड करेंगे ।
2. केबल एवं सिनेमाघरों में ई0वी0एम0 एवं वी0वी0पी0ए0टी0 के विडियो स्पॉट चलाया जाना ।
3. न्यूज पेपर के साथ पम्पलेट वितरित किया जाना ।
4. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान दिवस को PWDs निर्वाचकों को मतदान स्थल तक आने-जाने एवं अंधे/शिथिलांग निर्वाचकों को ब्रेल लिपि की सुविधा प्रदान किये जाने से संबंधित प्रचार-प्रसार कराया जाना ।

#### परिवहन विभाग

1. पूर्णियाँ जिलान्तर्गत वाणिज्यिक वाहन यथा बस, ट्रक, टेम्पु इत्यादि में मतदाता जागरूकता से संबंधित स्टीकर पोस्टर आदि के माध्यम से प्रचार प्रसार कराया जाना ।
2. सभी पेट्रोल पम्प/बस/टेम्पू स्टैंड आदि स्थलों पर मतदाता जागरूकता/ई0वी0एम0 /वी0वी0पी0ए0टी0 के संचालन से संबंधित फलैक्स बैनर/पोस्टर आदि का प्रदर्शन कराया जाना

#### स्वयं सेवी संस्था

1. जिला अन्तर्गत सभी स्वयं सेवी संस्था यथा नेहरू युवा केन्द्र, अभिलाषा परिवार, संदेश भारती, आदि के माध्यम से भी मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जायेगा ।

## चुनाव साक्षरता क्लब

पूर्णिमाँ जिला अन्तर्गत विधानसभावार चुनाव साक्षरता क्लब की स्थिति निम्न प्रकार है :-

| क्र० | विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र<br>संख्या एवं नाम | न्यू वोटर्स | फ्यूचर वोटर्स | चुनाव पाठशाला |
|------|----------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| 1    | 56-अमौर                                      | —           | 9             | 300           |
| 2    | 57-बायसी                                     | 2           | 5             | 261           |
| 3    | 58-कसबा                                      | 1           | 4             | 274           |
| 4    | 59-बनमनखी (SC)                               | 2           | 6             | 301           |
| 5    | 60-रूपौली                                    | —           | 5             | 306           |
| 6    | 61-धमदाहा                                    | 1           | 6             | 317           |
| 7    | 62-पूर्णिमाँ                                 | 4           | 5             | 298           |

निर्वाचन साक्षरता क्लब एवं चुनाव पाठशाला के माध्यम से चुनावी जागरूकता का कार्य किया जाना है।

### प्रशिक्षण

1. प्रत्येक विधान सभा स्तर पर 5-5 ई0वी0एम0 एवं वी0वी0पी0ए0टी0 मशीन दिया जाना है जिसे मास्टर ट्रेनर के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करने का कार्य किया जायेगा।
2. 2057 मतदान केन्द्रों पर ई0वी0एम0 एवं वी0वी0पी0ए0टी0 का प्रशिक्षण कराया जायेगा।
3. ई0वी0एम0 एवं वी0वी0पी0ए0टी0 के बारे में आम जनता को जानकारी के लिये सभी प्रखंड/अनुमंडल/जिला स्तर पर स्थायी प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया गया है।
4. ई0वी0एम0 एवं वी0वी0पी0ए0टी0 का प्रचार प्रसार प्रचार वाहन के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये विडियो/ओडियो क्लिप के माध्यम से किया जायेगा।

### अन्यान्य

1. जिलों को जोड़ने वाली सड़को एवं ई0वी0एम0 एवं वी0वी0पी0ए0टी0 की जानकारी दर्शाते हुए होर्डिंग एवं बैनर लगाया जायेगा।
2. ई0वी0एम0 एवं वी0वी0पी0ए0टी0 के पोस्टर पोलिंग बूथ भवन, स्कूल भवन, पंचायत भवन, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, राशन दुकानों, बैंक, पोस्ट-ऑफिस इत्यादि में प्रदर्शित किया जायेगा।
3. प्रत्येक पोलिंग बूथ भवन अथवा मुख्य स्थान पर होर्डिंग अथवा वॉल पेन्टिंग कराया जायेगा।

धन्यवाद